10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2870

विनोद भार्गव अभि० 23-8-17

23-8-17

कल्याण पुत्र रामचरण ... निवासी- ग्राम बैराढ़ तहसील बैराढ़ जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--आवेदक

विरूद्ध

सतीष प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री मुरलीधर श्रीवास्तव, निवासी- हाल निवास 2-बी अशोक कॉलोनी खासगी बाजार लश्कर ग्वालियर (म प्र.)

--अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, तहसील बैराढ़ जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/2016-17/अ-70 में पारित आदेश पारित दिनांक 12/07/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 23-08-2017

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम बैराढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2953/1 एवं 2947/2 आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमियां है। आवेदक ने वर्ष 2014 में अपनी भूमियों का सीमांकन कराया था तदानुसार आवेदक अपने स्वत्व की भूमियों पर काबिज दखल चला आ रहा है। इसका अनावेदक की किसी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है।

2. यहकि, अनावेदक द्वारा तहसील महोदय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अधीन आवेदन किया कि उसने अपनी भूमि सर्वे क्र 2955/1 का सीमंकन कराया था जिस पर आवेदक का लगभग 0 40 हे. पर अवैध कब्जा पाया गया है एवं उसने सीमांकन मुड़ियां उखाड़ फेंक दी है। अतः उसे कब्जा दिया जाये।

3. यहकि, तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मात्र तामील कराने वाले की रिपोर्ट कि तामील लेने से इन्कार करने पर मकान पर चस्पा किया गया, इस आधार पर दिनांक 12/07/2017 को कब्जा दिलाये जाने

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2870

कल्याण विरूद्ध सतीष प्रकाश श्रीवास्तव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बैराढ़, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-6/2016-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 12/7/17 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	

3